न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं भू अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 180/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/283

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
मुकेश कुमार पुत्र जोगाराम जाति माली निवासी पुलिस थाने के पीछे बालोतरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा 2.अचलचंद पुत्र जोगाराम 3.गोरधन पुत्र जोगाराम 4.धेवरचंद पुत्र जोगाराम 5.रामचन्द्र पुत्र जोगाराम जाति माली निवासी पुलिस थाने के पीछे बालोतरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री जयदीपसिंह भाटी अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 2 से 5
3. विप्रार्थी संख्या 01 अनुपस्थित

:–आदेश:–

दिनांक 07.10.2024

1.संक्षिप्त में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि ग्राम जेरला तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 931/293 क्षेत्रफल 0.5180 हैक्टयर भूमि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 2 से 5 की संयुक्त खातेदारी में अवस्थित है। विवादित आराजी प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 2 से 5 के पिता जोगाराम की संयुक्त खातेदारी में अवस्थित थी। जोगाराम [illegible] घरेलू बोल–चाल भाषा में माणक नाम से पुकारने के कारण जोगाराम के फौतदगी [illegible] में भी अशुद्ध नाम माणकलाल दर्ज कर लिया गया,जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम मुकेशकुमार है,लेकिन अशुद्ध नाम इन्द्राज होने के कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। अंत प्रार्थी [illegible] विवादित आराजी में दायर नाम प्रविष्टि माणकलाल के स्थान पर सही नाम मुकेशकुमार इन्द्राज करवानें हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2024.10.25 16:41:54 IST
Reason: SelfAttested

2.प्रार्थी का आवेदन–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी को जरिए रजिस्ट्रर्ड सम्मन तलब किया। विप्रार्थी के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। अधिवक्ता श्री जयदीपसिंह भाटी द्वारा विप्रार्थी संख्या 2 से 5 की ओर से वकालतनामा मय इकबाली जवाब पेश किया गया,जो शामिल मिसल किया गया। विप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जवाब पेश नहीं किए जाने पर जवाब बन्द किया गया।

3.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए वक्त बहस निवेदन किया कि ग्राम जेरला तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 931/293 क्षेत्रफल 0.5180 हैक्टयर भूमि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 2 से 5 की संयुक्त खातेदारी में अवस्थित है। विवादित आराजी प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 2 से 5 के पिता जोगाराम की संयुक्त खातेदारी में अवस्थित थी। जोगाराम के फोत होने पर प्रार्थी को धरेलू बोल–चाल भाषा में माणकलाल नाम से पुकारने के कारण जोगाराम के फौतदगी नामान्तकरण में भी अशुद्व नाम माणकलाल दर्ज कर लिया गया,जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम मुकेशकुमार है,लेकिन अशुद्व नाम इन्द्राज होने के कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। अशुद्व प्रविष्टि एक एरर एपिरेन्ट ऑन द फेस ऑफ रेकर्ड है,जो कि एक लिपिकीय त्रुटिवंश दर्ज हो रखा है,जबकि अन्य सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थी का वास्तविक नाम मुकेशकुमार दर्ज है,लेकिन विवादित आराजी में प्रार्थी के अशुद्व नाम इन्द्राज होने के कारण प्रार्थी को किसी प्रकार की सरकारी योजनाओं का परिलाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। अन्तः में निवेदन किया कि प्रार्थी का आवेदन–पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी में अशुद्व नाम माणकलाल के स्थान पर सही नाम प्रविष्टि मुकेशकुमार इन्द्राज किए जाने के आदेश किए जावें।

4.विप्रार्थी संख्या 2 से 5 अधिवक्ता ने वक्त बहस निवेदन किया कि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 2 से 5 सगे भाई है,जो जोगाराम के वारिसान है। विवादित आराजी प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 2 से 5 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। विवादित आराजी में प्रार्थी का अशुद्व नाम इन्द्राज हो रखा है,जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम मुकेशकुमार है। विवादित आराजी में प्रार्थी का अशुद्व नाम प्रविष्टि के स्थान पर मुकेशकुमार दुरूस्त किया जाता है,तो विप्रार्थी को आपति नहीं है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

5.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि ग्राम जेरला तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 931/293 क्षेत्रफल 0.5180 हैक्टयर भूमि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 2 से 5 की संयुक्त खातेदारी में अवस्थित है,जिसमें प्रार्थी का नाम माणकलाल पुत्र जोगाराम इन्द्राज हो रखा है,जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड प्रति,आयकर विभाग द्वारा जारी पेन–कार्ड प्रति,परिवार राशन–कार्ड प्रति,भारत निर्वाचन आयोग ... पहचान पत्र प्रति,माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान माध्यमिक परीक्षा 2009 ... प्रति ... शिक्षा बोर्ड द्वारा माध्यमिक परीक्षा 2019 प्रमाण–पत्र अंकतालिका प्रति में प्रार्थी का नाम मुकेशकुमार दर्ज है तथा विवादित आराजी के सहखातेदार विप्रार्थी संख्या 2 से 5 जो कि प्रार्थी के सगे भाई है,ने अपने इकबाली जवाब में स्वीकार किया है कि विवादित आराजी में प्रार्थी का अशुद्व नाम माणकलाल दर्ज है,जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम मुकेशकुमार है तथा रिकॉर्ड में दुरूस्ती किए जाने पर उन्हे आपति नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2024.10.25 16:41:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

है,जो कि अपने आप में पर्याप्त है कि प्रार्थी का विवादित आराजी में अशुद्व नाम दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं इकबाली जवाब से भी साबित है कि प्रार्थी विवादित आराजी में अशुद्व नाम प्रविष्टि को दुरूस्त करवाने का हकदार बनता है। प्रार्थी अपना आवेदन–पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने में बखूबी सफल रहा है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन–पत्र स्वीकार योग्य है।

06.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थी विवादित भूमि में अपना अशुद्व नाम माणकलाल के स्थान पर सही नाम प्रविष्टि मुकेशकुमार दुरूस्त करवानें का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 को 88 R.T. ACT. में मानते हुए भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम जेरला तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 931/293 क्षेत्रफल 0.5180 हैक्टयर भूमि में प्रार्थी का अशुद्व नाम प्रविष्टि माणकलाल पुत्र जोगाराम के स्थान पर सही नाम प्रविष्टि माणकलाल उर्फ मुकेशकुमार पुत्र जोगाराम दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए जातें है,शेष बदूस्तर रहेंगा। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

आदेश आज दिनांक 07.10.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

07.10.2024
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2024.10.25 16:41:54 IST
Reason: SelfAttested